दिनांक–01.07.2026 को अपराह्न 03:00 बजे अपर सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में विभागान्तर्गत संबंधित सभी निदेशालयों/कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ निगरानी संबंधी मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

<u>उपस्थितिः पंजी के अनुसार।</u>

आज दिनांक–01.07.2026 को अपराह्न 03:00 बजे से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निगरानी संबंधी मामलों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में विभागान्तर्गत निगरानी संबंधी मामलों से संबंधित बी0ई0पी0सी0, बी0एस0ई0आई0डी0सी0, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, जन शिक्षा निदेशालय, बी0बॉस, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि0 तथा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रभारी पदाधिकारी/उनके प्रतिनिधि प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुए। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा एवं विस्तृत चर्चा की गई। समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को निगरानी विभाग के पोर्टल से प्राप्त परिवादों को पूर्णरूपेण निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निगरानी पोर्टल पर अपलोड करते हुए उसे निष्पादित किया जा सके। जो पत्र निदेशालय/कार्यालय से संबंधित नहीं है उसे अविलंब अधोहस्ताक्षरी को वापस करने का अनुरोध किया गया।

एस0सी0ई0आर0टी0, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रशासन निदेशालय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड तथा पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, पटना के प्रभारी पदाधिकारी अथवा उनके कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। फलस्वरूप इनकी समीक्षा नहीं की जा सकी।

<u>समीक्षोपरान्त निम्न निदेश दिये गये :–</u>

1. निगरानी विभाग द्वारा विकसित पोर्टल के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। पोर्टल पर लंबित मामलों/परिवादों की प्रति संबंधित निदेशालय/कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जो मामला/परिवाद की प्रति संबंधित निदेशालय/कार्यालय को प्रेषित किया गया है, उक्त पर सक्षम प्राधिकार से जाँच कराते हुए शीघ्र निष्पादित किया जाय तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। साथ ही कृत कार्रवाई प्रतिवेदन में निगरानी पोर्टल का आई0डी0 संख्या अवश्य अंकित किया जाय।
2. अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों में ससमय प्रतिवेदन निगरानी विभाग को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3. विभागान्तर्गत निगरानी संबंधी मामलों से संबंधित सभी निदेशालयों/कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी/उनके प्रतिनिधि को लंबित परिवाद पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–18/वि0–01–19/2024............ पटना दिनांक–........................

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी।

CN- ~~5846497~~
5848268

ज्ञापांक–18 / वि0–01–19 / 2024 918 पटना दिनांक– 01-07-2026

प्रतिलिपिः– राज्य परियोजना निदेशक, बी0ई0पी0सी0 / निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 / प्रबन्ध निदेशक, बी0एस0ई0आई0डी0सी0 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना / निदेशक, जन शिक्षा निदेशालय / निदेशक, प्रशासन निदेशालय / मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बी0बॉस / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना / सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड / निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र / प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि0 / श्री उपेन्द्र कुमार, अवर सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव के आशुलिपिक / आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 01/7/26

अपर सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी।